फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती रेखा　　　　बनाम　　　　विपक्षी : श्रीमती अल्पना

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम　　　　पत्रावली संख्या : 101/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 02.12.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 3 उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 व 4 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 2 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 व 3 द्वारा मुलवाद में बंटवाडा किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई तथा इस प्रकरण में जवाब पेश नहीं करना चाहा। विपक्षी संख्या 1 व 3 के जवाब का अवसर बन्द किया जाता हैं। विपक्षी संख्या 4 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी में अंकित हैं परन्तु विपक्षीगण आये दिन लडाई झगडा करते हुये अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर कब्जा करने की कुचेष्टा करते हुये प्रार्थीया को तंग परेशान करते हुये फसल को नुकसान पहूंचाते हैं जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 व 3 द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया साथ ही विपक्षी संख्या 2 व 4 द्वारा भी प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया खातेदार हैं। प्रार्थीया द्वारा कथन कहा कि विपक्षी हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है। इससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 978 की आराजी नम्बर 7625, 9086/7624 किता 2 रकबा 0.1292 हैक्टयर भूमि मे विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 13:50:52 IST
Reason: SelfAttested